उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ नैनीताल

उपस्थितः माननीय कैप्टन आलोक शेखर तिवारी

.............सदस्य (प्रशासनिक)

याचिका संख्या 33/एन0बी0/एस0बी0/2024

जावेद हसन, उ0नि0 ना0पु0, आयु 36 वर्ष, पुत्र श्री रियाजुल हसन, स्थायी निवासी ग्राम मखियाली खुर्द, थाना लक्सर, तहसील लक्सर, जिला–हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

....................याची

बनाम्

1. **उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रमुख सचिव गृह, उत्तराखंड शासन सचिवालय, देहरादून।**
2. **पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊं परिक्षेत्र, नैनीताल।**
3. **पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़।**

.... विपक्षीगण

उपस्थितिः श्री नदीमुद्दीन एवं श्री आसिफ अली, विद्वान अधिवक्ता–याचीकर्ता ।
श्री किशोर कुमार, विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी–विपक्षीगण।

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः 30 मई, 2025</u>

प्रस्तुत वाद में याची द्वारा निम्न अनुतोष चाहा गया हैः–

"1. आलोच्य दण्ड आदेश दिनांकित 05.10.2023 (निर्देश याचिका का संलग्नक–1) तथा अपील

प्राधिकारी का अपील आदेश दिनांकित 30.04.2024 (निर्देश याचिका का संलग्नक–2) को अपास्त (quash) करें और अवैध तथा शून्य घोषित कर विपक्षीगण को निर्देशित करें कि वह याची को दिये गये दण्ड को उसकी चरित्र पंजिका व अन्य अभिलेखों से विलुप्त करें,

2. याची को समस्त परिणामिक सेवालाभ अवमुक्त करते हुये अनुमन्य अन्य सेवालाभ प्रदान करें,

3. अन्य उपचार जो मामले की परिस्थितियों के अनुरूप माननीय अधिकरण उचित समझे,

4. याचिका का खर्च याची को दिलाने हेतु आदेश।"

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची 2015 से पुलिस विभाग में पुलिस सब–इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत् है। वर्तमान में जिला पिथौरागढ़ में थाना पिथौरागढ़ में तैनात है। वह लोक सेवक है। याची का पूर्व सेवा रिकार्ड साफ है और 2015 से 07 वर्षों से पुलिस विभाग की सेवा में है। उसे लगातार आलोच्य आदेश के वर्ष सहित पिछले वर्षों में अति उत्तम/उत्कृष्ट वार्षिक प्रविष्टि दी गयी है। उसने सदैव कर्मठता व लगन से अपने दायित्वों का पालन किया है। वर्ष 2023 में जब याची जनपद पिथौरागढ़ में थानाध्यक्ष, कनालीछीना के पद पर नियुक्त था तो उमेश कुमार द्वारा थाना कनालीछीना में आकर मौखिक रूप से याची को बताया गया था कि

ग्रेफ (GREF) के रोलर ऑपरेटर अनिल कुमार सिंह के उसकी पत्नि ममता से नाजायज सम्बन्ध है और अनिल सिंह मोबाईल नम्बर पर व्हाट्सएप में मैसेज करता है और उससे गाली–गलौज करता है, जिस पर याची द्वारा उमेश कुमार से अनिल सिंह का मोबाईल नम्बर 9729927227 प्राप्त कर अपने सरकारी सीयूजी नम्बर 9411112889 से दिनांक 01.07.2023 को अनिल सिंह से सम्पर्क कर उमेश कुमार द्वारा मौखिक रूप से दी गयी शिकायत के बारे में अवगत कराते हुये दूसरे दिन थाना कनालीछीना में आने हेतु कहा गया। दिनांक 02.07.2023 को शिकायतकर्ता श्री उमेश कुमार व उसकी पत्नि श्रीमती ममता तथा विपक्षी अनिल सिंह थाना कनालीछीना में उपस्थित हुये। याची द्वारा दोनों पक्षों से वार्ता की गयी और उक्त शिकायत के बारे में अनिल सिंह का विस्तार से बताया गया। दोनों पक्षों द्वारा याची से उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एक–दो दिवस का समय देने तथा आपस में बात करके लिखित रूप में आपको अवगत कराने को कहा गया। इसके उपरान्त दोनों पक्ष थाने से चले गये तथा दिनांक 04.07.2023 को शिकायतकर्ता उमेश कुमार लिखित प्रार्थना–पत्र लेकर थाने में आया जिसे जी0डी0 नम्बर 19 समय 13.50 पर दाखिल करके जॉच प्रारम्भ कर दी गयी। श्री अनिल सिंह द्वारा उसी दिन थानाध्यक्ष उ0नि0 जावेद हसन के विरूद्ध झूठे व निराधार आरोप लगाते हुये एक शिकायती प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.07.2023 विपक्षी संख्या–03 को भेजा गया।

विपक्षी संख्या–03 ने शासनादेश सं0 690 के निर्देशों का अनुपालन किये बगैर बिना कोई साक्ष्य या शपथ–पत्र प्राप्त किये बगैर, शिकायत पर कार्यवाही करते हुये प्रकरण की जॉच कर आख्या उपलब्ध कराने को श्रीमान् पुलिस उपाधीक्षक, पिथौरागढ़ को आदेशित किया। श्रीमान् पुलिस उपाधीक्षक, पिथौरागढ ने बिना विधिक प्रावधानों तथा नियमों का पालन किये याची तथा अन्य पुलिस अधिकारी की कॉल डिटेल अवैध रूप से निकलवाकर उसके आधार पर निराधार तथा मनमानी उपधारणा करते हुये अपनी जॉच आख्या सीओ–जॉच/2023 दि0 08. 08.2023 में बिना स्वतन्त्र साक्ष्यों तथा याचो के पक्ष को विचार में लिये बिना किसी सम्बद्ध कारण को उल्लिखित किये, बिना किसी वैध आधार के याची को अनिल सिंह पर दबाव बनाकर उससे रू0 70,000/– उ0नि0 मीनाक्षी देव के खाते में भिजवाने का दोषी होने का निष्कर्ष दे दिया। श्रीमान् पुलिस उपाधीक्षक, पिथौरागढ़ की उक्त जॉच आख्या को आधार बनाते हुये बिना सहबद्ध कारण उल्लिखित किये इसके निष्कर्षों के भी विपरीत अनुशासनहीनता एवं अकर्मण्यता का आरोप लगाते हुये विपक्षी संख्या–03 ने कारण बताओ नोटिस संख्याः द––54/2023 दिनांक 23.08.2023 याची की वर्ष 2022 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने का उल्लेख करते हुये दिया। उक्त नोटिस का याची द्वारा उत्तर प्रेषित करते हुये उस पर लगाये गये आरोपों के गलत व निराधार होने को स्पष्ट करते हुये नोटिस निरस्त

करने की प्रार्थना की गयी। विपक्षी संख्या–03 ने याची के स्पष्टीकरण तथा उसमं दिये गये तर्कों को न मानने का कोई स्पष्ट आधार दिये बगैर ही वर्ष 2022 में चरित्र पंजिका में परिनिन्दा प्रविष्टि अंकित करने का आदेश द–53/2023 दिनांक 05.10.2023 पारित कर दिया। याची ने उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी संख्या–02 के समक्ष अपील प्रस्तुत की। विपक्षी संख्या–02 द्वारा अपील के तथ्यों व आधारों पर निष्पक्ष रूप से विचार किये बगैर अवैध रूप से याची द्वारा की गयी अपील को अपील आदेश पत्रांकः सीओके–अपील––04/2024 दिनांक 30 अप्रैल, 2024 से निरस्त कर दिया गया। अतः उक्त याचिका मा0 उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण की खण्डपीठ नैनीताल के समक्ष दाखिल किया गया है।

3. प्रतिवादी संख्या–1, 2 एवं 3 की ओर से श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा लिखित विवेचन–पत्र दाखिल किया गया, जो इस प्रकार हैः–

3.1 जब याची उ0नि0 ना0पु0 जावेद हसन प्रभारी थानाध्यक्ष कनालीछीना के पद पर नियुक्त थे तो श्रीमती ममता देवी के पति श्री उमेश कुमार एवं ग्रिफ में तैनात कर्मचारी अनिल सिंह के मध्य आपसी विवाद की शिकायत करने श्रीमती ममता देवी का पति श्री उमेश कुमार दिनांक 01.07.2023 को थाना कनालोछीना गये और याची थानाध्यक्ष

को शिकायत के बारे में अवगत कराया गया। याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता श्री उमेश कुमार से विपक्षी अनिल सिंह का मोबाईल नम्बर 9729927227 प्राप्त कर स्वयं अनिल सिंह से बात की गयी और दिनांक 02.07.2023 को थाना कनालीछीना आने के लिये कहा गया। दिनांक 02.07.2023 को अनिल सिंह व श्रीमती ममता देवी थाना कनालीछीना में उपस्थित हुये। इसी दौरान याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता श्री उमेश कुमार की शिकायत के कम में अनावश्यक रूप से विपक्षी श्री अनिल सिंह पर रूपये देने के लिये दबाव बनाया गया इस दबाव के कारण अनिल सिंह द्वारा अपने जीजा सतपाल को फोन पर बताया गया कि ग्रिफ में काम करने वाली लेबर के पति द्वारा मेरी थाने पर शिकायत की है जिस सम्बन्ध में पुलिस ने मुझे थाने पर बुलाया हुआ है और मुझे पैसे की जरूरत ह जिस पर सतपाल द्वारा दिनांक 02.07.2023 को 1.58 पर 20,000/– रूपये अनिल सिंह को भेज दिये गये। इसी प्रकार दिनांक 02.07.2023 को ही अनिल सिंह द्वारा अपने तहेरे भाई राजेश सिंह से भी 50,000/–रूपये लिये गये। उक्त 70,000/– रूपये अनिल सिंह के खाते में आने के बाद ही अनिल सिंह द्वारा फोन–पे के माध्यम से उपनिरीक्षक ना0पु0 मीनाक्षी देव के खाते में 70,000/– रूपये भेजे गये। अनिल सिंह द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रकरण के बारे में अवगत कराये जाने पर अपने बचाव में याचिकाकर्ता द्वारा उ0नि0 मीनाक्षी देव से वार्तालाप के

उपरान्त दिनांक 04.07.2023 को उ0नि0 ना0पु0 मीनाक्षी देव द्वारा उक्त धनराशि वापस की गयी। इस प्रकार याचिकाकर्ता के उपनिरीक्षक व थानाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त रहते इस प्रकार का कृत्य करना अनुशासनहीनता एवं अकर्मण्यता को प्रदर्शित करता है।

याचीकर्ता के उक्त कृत्य के लिये तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़ द्वारा याची को आदेश संख्या न–41/2023 दिनांक 05.07.2023 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये प्रकरण की प्रारम्भिक जॉच पुलिस उपाधीक्षक, पिथौरागढ़ को आवंटित की गयी।

जॉचकर्ता अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक, पिथौरागढ़ द्वारा अपनी प्रा0 जॉच आख्या दिनांक 08.08.2024 उपलब्ध कराते हुये जॉच आख्या में अंकित किया कि शिकायतकर्ता श्री उमेश कुमार की शिकायत दिनांक 01.07.2023 को प्राप्त होने के उपरान्त श्री जावेद हसन द्वारा दिनांक 02.07.2023 को ग्रिफ में तैनात कर्मचारी अनिल सिंह को थाना कनालीछीना में बुलाकर उस पर दबाव बनाकर तथा उ0नि0 मीनाक्षी देव से लगातार सम्पर्क में रहकर उ0नि0 मीनाक्षी देव के खाते में अनिल सिंह से रूपया 70,000/– अवैध धनराशि भिजवाये जाने की पुष्टि जॉच से होती है। जॉच से उ0नि0 जावेद हसन द्वारा शिकायतकर्ता श्री उमेश कुमार की शिकायत पर वैधानिक कार्यवाही

नहीं करने तथा विपक्षी अनिल सिंह पर दबाव बनाकर उससे 70,000/– रूपये उ0नि0 मीनाक्षी देव के खाते में भिजवाने एवं थानाध्यक्ष के पद के अनुरूप कार्य न करने का दोषी पाया गया।

याची के प्रारम्भि जॉच में दोषी पाये जाने के उपरान्त उत्तराखण्ड अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम–14 (2) एवं उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 के प्रस्तर–23 (2) (बी) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र संख्या द–54/2023 दिनांक 23.08.2023 के द्वारा याची की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित किये जाने विषयक कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया। याची द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.09.2023 को प्राप्त कर अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 15.09.2023 को इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़ द्वारा बलहीन पाते हुये आदेश संख्या द–53/2023 दिनांक 05.10.2023 के द्वारा याची की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उक्त आदेश के विरूद्ध याचीकर्ता द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक, कुमायूॅं परिक्षेत्र, नैनीताल को अपील प्रस्तुत की गयी।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र, नैनीताल के आदेश संख्या सीओके–अपील–04/2024 दिनांक 30.04.2024 के द्वारा याचीकर्ता की अपील में कोई बल न होने के कारण अपील अस्वीकृत की गयी है।

तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़ के आदेशानुसार याचीकर्ता के प्रकरण में पुलिस उपाधीक्षक, पिथौरागढ़ द्वारा प्रा0 जॉच सम्पादित की गयी है तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़ के आदेशानुसार ही याचीकर्ता एवं थानाध्यक्ष जावेद हसन की कॉल डिटेल जॉच अधिकारी द्वारा निकाली गयी है याचीकर्ता एवं उ0नि0 मीनाक्षी देव अराजपत्रित अधिकारी है जबकि जॉचकर्ता अधिकारी राजपत्रित अधिकारी है जॉच अधिकारी को जॉच हेतु कॉल डिटेल निकाले जाने हेतु याचीकर्ता की किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुलिस अधीक्षक द्वारा जॉच अधिकारी को जॉच करने हेतु आदेशित किया गया है।

इसी दबाव के कारण विपक्षी अनिल सिंह द्वारा अपने रिश्तेदारों से धनराशि उधार लेकर दिनांक 02.07.2023 को फोन–पे के माध्यम से ट्रान्सजेक्शन नं0 T2307021440080333785252 से मीनाक्षी देव पुत्री मान सिंह देव को रू0 70,000/– भेजे गये जिसकी पुष्टि उ0नि0 मीनाक्षी देव के पंजाब नेशनल बैंक के खाते के स्टेटमेण्ट एवं बयान से प्रतीत होती है। दिनांक 02.07.2023 को समय 14.40 पर

पैसे डालने व अनिल सिंह के खाते में दिनांक 04.07.2023 को समय 12.22 बजे उ0नि0 मीनाक्षी देव द्वारा पैसे लौटाने की समयावधि में याचीकर्ता एवं उ0नि0 मीनाक्षी देव के बीच कुल 36 बार वार्तालाप हुई है। याची द्वारा उपनिरीक्षक मीनाक्षी देव से दिनांक 02.07.2023 को 07 बार एवं उसके उपरान्त भी दिनांक 03.07.2023 को 15 बार तथा दि0 04.07.2023 को 21 बार वार्तालाप की गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि याचीकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता श्री उमेश कुमार की शिकायत पर वैधानिक कार्यवाही नहीं करते हुये तथा विपक्षी अनिल सिंह पर दबाव बनाकर उससे 70,000/– रूपये उ0नि0 मीनाक्षी देव के खाते में भिजवाये गये जिसकी पुष्टि जॉच अधिकारी द्वारा अपनी प्रा0 जॉच आख्या में की गयी।

प्रा0 जॉच में दोषी पाये जाने के उपरान्त ही याचीकर्ता को अपने बचाव हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये अन्तिम दण्डादेश पारित किये गये हैं जो पूर्णरूप से विधिसम्मत् है। उक्त के अतिरिक्त याचीकर्ता द्वारा मा0 न्यायालयों द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकरणों में पारित किये गये निर्णयों का उल्लेख किया गया है उक्त सम्बन्ध में मा0 न्यायालयों द्वारा एक ही प्रकार के प्रकरणों में सम्यक् रूप से देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप अलग–अलग निर्णय

पारित किये जाते है जो याचीकर्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में लागू नहीं होते है।

याचीकर्ता के अनुशासित पुलिस बल में नियुक्त रहते हुये अवैध प्रकार से वसूली में संलिप्त रहना अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है इस प्रकार के कृत्य से पुलिस विभाग की छवि धूमिल होती है। याचीकर्ता के विरूद्ध पारित दण्डादेश सर्वथा विधिसम्मत्, न्यायोचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुकूल है। अतः मा० न्यायाधिकरण से प्रार्थना ह, कि याचिकाकर्ता के द्वारा योजित की गयी वर्तमान याचिका असत्य एवं भ्रामक तथ्यां पर आधारित है, जिस कारण उक्त याचिका खारिज होने योग्य है।

4. याची की ओर से प्रतिउत्तर शपथ–पत्र दाखिल किया गया जिसमें विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिशपथपत्र/लिखित विवेचन में किये गये कथनों का प्रतिकार करते हुए याचिका में किये गये कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में इस तथ्य की ओर विशेष बल दिया गया कि शिकायतकर्ता अनिल कुमार स्वयं ही

एक मुल्जिम है जिसके अपराध का केन्द्रबिन्दु में रखने के कारण ही प्रश्नगत् प्रकरण उत्पन्न हुआ है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जॉच के दौरान अपने बयान दर्ज कराने के स्थान पर यह कहना विधि विरूद्ध है कि मेरे पत्र को ही बयान मान लें जैसा कि प्रश्नगत् जॉच रिपोर्ट में उल्लिखित है। इसी प्रकार जॉच के दौरान श्रीमती ममता के बयान भी दर्ज नहीं किये गये हैं जबकि वह इस पूरे आपराधिक प्रकरण में केन्द्रबिन्दु है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि जॉच अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से टेलीफोन वार्ताओं का विवरण प्राप्त किया गया एवं उस कॉल रिकार्ड के आधार पर परिकल्पित कर लिया गया कि याची जावेद हसन के कहने पर शिकायतकर्ता उमेश कुमार द्वारा उपनिरीक्षक मीनाक्षी देव के बैंक खाते में धनराशि जमा करवायी गयी।

7. विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि रिश्वत के मामलों में चश्मदीद गवाह प्रायः उपस्थित नहीं होते है एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर ही विश्वास करना पड़ता है। प्रारम्भिक जॉच में दोषी पाये जाने के उपरान्त याची को अपने बचाव हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये अन्तिम दण्डादेश पारित किय गये है जो कि पूर्णरूप से विधिसम्मत है। विभागीय कार्यवाही की प्रकिया में सभी नियमों का पालन किया गया है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता विभाग द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को विभागीय कार्यवाही का आधार बनाया गया है। स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति में यह मूल्यॉकन किये जाने की आवश्यकता है क्या इन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को अकाट्य तथ्य माना जा सकता है, अथवा याची को सन्देह का लाभ दिये जाने की अपरिहार्यतया प्रस्तुत होगी। उपरोक्त बिन्दु पर विचार किये जाने से पूर्व न्यायालय को यह उचित प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण प्रकरण में एक थाना प्रभारी के रूप में याची के कार्य व्यवहार एवं आचरण का भी तुलनात्मक मूल्यॉकन किया जायें। प्राथमिक जॉच में याची द्वारा दर्ज कराये गये बयान एवं प्रस्तुत याचिका में कहे गये अभिकथनों से यह स्पष्ट है कि स्वयं याची के कार्य व्यवहार में पारदर्शिता परिलक्षित नहीं होती है। वस्तुतः मूल शिकायतकर्ता उमेश कुमार जो कि पैरों से विकलॉग है द्वारा दिनांक 01.07.2023 को थाना कनालीछीना में आकर मौखिक रूप से याची के समक्ष की गयी शिकायत के आधार पर आरोपी रोलर ऑपरेटर अनिल सिंह के विरूद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाकर प्रकरण की विधिक जॉच विवेचना अधिकारी को दी जानी चाहिये थी जो कि याची द्वारा नहीं की गयी। इस प्रकरण में याची का कार्य व्यवहार एक थाना प्रभारी के रूप में विधि संगत परिलक्षित नहीं होता है बल्कि सुलह–सफाई करवाने का प्रयास दिखता है। ऐसी परिस्थिति में आरोपी

अनिल कुमार द्वारा उपनिरीक्षक मीनाक्षी देव के बैंक खाते में एक बड़ी धनराशि जमा कराया जाना अकारण नहीं हो सकता है एवं प्रारम्भिक विभागीय जॉच में याची एवं उपनिरीक्षक मीनाक्षी देव के घनिष्ठ पारस्परिक सम्बन्धों के दृष्टिगत् भी यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता पुलिस विभाग द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विश्वास करते हुये याची के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना एक उचित निर्णय था। यह भी अवलोकनीय है कि प्रकरण में उच्चस्थ अधिकारियों द्वारा पूछताछ प्रारम्भ किये जाने पर याची ने उपनिरीक्षक मीनाक्षी देव से वार्ता की एवं तदुपरान्त उपनिरीक्षक मीनाक्षी देव द्वारा प्रश्नगत् धनराशि जमाकर्ता अनिल सिंह को वापस कर दी गयी। यहॉ पर यह उल्लेख किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि उपनिरीक्षक मीनाक्षी देव का कार्य व्यवहार, आचरण एवं बयान इत्यादि से भी यह पुष्टि होतो है कि प्रश्नगत् प्रकरण में याची द्वारा इस याचिका में मिथ्या कथन किया गया है।

9. जहॉ तक प्रारम्भिक जॉच अधिकारी द्वारा टेलीफोन वार्ता के कॉल रिकार्ड विधि विरूद्ध तरीके से प्राप्त करने का प्रश्न है उक्त के विषय में याची अलग से विधिक कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र है किन्तु प्रश्नगत् कॉल रिकार्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकृत न किया जाये यह उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सम्पूर्ण कॉल रिकार्ड्स का पारस्परिक मिलान कराये जाने पर सन्देह से परे यह स्पष्ट है कि याची

उ0 नि0 जावेद हसन, उपनिरीक्षक मीनाक्षी देव एवम् शिकायतकर्ता अनिल कुमार की टेलीफोन वार्तायें नितान्त असामान्य कार्य व्यवहार है, एवम् निश्चित तौर पर एक आपराधिक षड़यन्त्र का सूचक है। यदि याची को ऐसा प्रतीत था कि प्रश्नगत् कॉल रिकार्ड्स के आधार पर उत्तरदाता पुलिस विभाग द्वारा एक कपोल कल्पित कहानी बनायी गयी है तो याची को प्रारम्भिक जॉच के दौरान अपरिहार्य रूप से ऐसे वैकल्पिक तथ्य देने चाहिये थे जो यह सिद्ध कर सके कि जॉच अधिकारी द्वारा परिकल्पित किये जा रहे मन्तव्य से इतर सत्य वास्तविकता कुछ और थी। याची ऐसी वैकल्पिक परिस्थिति एवं तथ्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है जो कि जॉच अधिकारी के मन्तव्य को मिथ्या सिद्ध कर सके। अतः ऐसा कोई कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं है जिसके आधार पर यह स्थिर किया जायें कि उत्तरदाता पुलिस विभाग द्वारा जिन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर विश्वास किया गया है वह दोषपूर्ण है।

10. जहॉ तक प्रश्नगत् अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान निर्धारित प्रकिया का अनुपालन किये जाने का प्रश्न है इसमें कोई गम्भीर त्रुटि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई है।

11. उपरोक्त विवेचना के आधार पर याची की याचिका बलहीन पायो जाकर, निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार, याची की याचिका निरस्त की जाती है। पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना स्वयं वहन करेंगे।

दिनांक : 30 मई, 2025
नैनीताल।
बी0के0

(कैप्टन आलोक शेखर तिवारी)
सदस्य (प्रशासनिक)